निरीक्षण आख्या **कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ के अवधि **05/2012** से **09/2016** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सूर्य पाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **22.10.2016** से **26.10.2016** तक सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान में माह **05/2012** से **09/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभालाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री प्रवेश चन्द्र डंडरियाल	उपजिलाधिकारी	24.12.2011	05.06.2012
2.	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	उपजिलाधिकारी	08.06.2012	03.02.2014
3.	श्री उत्तम सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	04.02.2014	वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा

(2) सतत अनियमिततायेः- **शून्य**

(3) अप्रस्तुत अभिलेख :- **दैवीय आपदा से सम्बन्धित पंजिकायें एवं अभिलेख**

4. बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**आयोजनागत**		**आयोजनेत्तर**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2012-13	-	-	11167000	10213581
2013-14	-	-	17326000	16388611
2014-15	-	-	22351000	19232177
2015-16	-	-	25639500	22541747
2016-17 (09/2016 तक)	-	-	27067000	12256529

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 ₹ 120.26 लाख की धनराशि आपदा प्रभावितों को वितरित न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दैवीय आपदा के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक बजट आवंटित किये गये जोकि आपदा प्रभावितों को वितरित किया जाना था परन्तु विभागीय शिथिलता के कारण धनराशियां अवितरित रह गयी, जिसका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आबंटित बजट	अवशेष धनराशि
2012-13 तक	39400000	7826765
2013-14 तक	134339446	-
2014-15 तक	5000000	4199160
2015-16 तक	1000000	263
योग		12026188

चूँकि वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि जिलाधिकारी कार्यालय को समर्पित की जानी चाहिए। वर्ष 2015-16 तक ₹ 12026188 की अवशेष धनराशि जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग को समर्पित नहीं की गयी तथा न ही आपदा प्रभावितों को वितरित की गयी।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि जल्द ही धनराशि को जिलाधिकारी महोदय को समर्पित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि जिलाधिकारी कार्यालय को समर्पित किया जाना चाहिए।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर 1-</u> ₹ 0.40 लाख का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 9 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर ₹ 15,000 से अधिक तथा ₹ 1,00,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है"।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के लिए मद संख्या-11 'लेखन सामग्री' में वर्ष 2013-14 के लिए कुल ₹ 40000 आवंटित थे, जिसे बिना क्रय समिति का गठन किये त्रिवेदी बुक डिपो, ऊखीमठ से क्रय किया गया। विवरण निम्न है

फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि (₹ में)
त्रिवेदी बुक डिपो, ऊखीमठ	1803, 1804	15.03.2013	20000
त्रिवेदी बुक डिपो, ऊखीमठ	1840	18.02.2014	20000
योग			40000

उपरोक्त क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार क्रय किया गया था। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 3.05 लाख तथा संग्रह प्रभार की धनराशि ₹ 58580 की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 3.05 लाख तथा संग्रह प्रभार की धनराशि ₹ 58580 अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आरकी वसूली हेतु अवशेष .सी. धनराशि	आरकी वसूल की गयी धनराशि .सी. पर संग्रह प्रभार की अवशेष धनराशि
2012-13 तक	453895	113079
2013-14 तक	184172	41420
2014-15 तक	770959	320651
2015-16 तक	**304768**	**58580**
2016-17 (09/2016 तक)	4442573	450290

चूँकि वित्तीय वर्ष के अन्दर की आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली का कार्य प्रगति पर है, अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 में सम्पन्न कर ली जायेगी तथा महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2: दैवीय आपदा पंजिका 2014-15 में ₹292122 का अंतर स्पष्ट न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ के दैवीय आपदा पंजिका 2014-15 की नमूना जांच में पाया गया कि दैवीय आपदा पंजिका के रखरखाव में बरती गयी उदासीनता के कारण ₹292122 का मिलान न किया जाना

Date	OB	Received	Total	H.S.	E.X.	G.R.	CB
01.4.14	9856708	0	9856708		520000	0	9336708
28.5.14	9336708		9336708		150000		9186708
29.5.14	9186708		9186708			1698313	7488395
29.5.14	7488395		7488395			5000000	2488395
29.5.14	2488395	100000	2588395				2588395
03.6.14	2588395	10000	2598395				2598395
03.6.14	2598395	250000000	252598395				252598395
07.6.14	252598395	100000000	352598395				352598395
07.6.14	352598395		352598395			1350000	351248395
13.6.14	351248395	15000	351263395		100000		351163395
	351163395		351163395		250000		350913395
10.7.14	350913395	117000000	467913395		117000000		350913395
12.7.14	350913395		350913395			249985000	100928395
	100928395		100928395			31765000	69163395
	69163395		69163395			2815000	66348395
	66348395		66348395			17175000	49173395
	49173395		49173395			103500	49069895
	49069895	87152	49157047				49157047
15.7.14	49157047		49157047			5418970	43738077
28.7.14	43738077		43738077		15000		43723077
	43723077		43723077			260000	43463077
	43463077		43463077		70000		43393077
	43393077		43393077			10842993	32550084
19.8.14	32550084		32550084			772455	31777629
23.8.14	31777629		31777629		100000		31677629
	31677629		31677629			90000	31587629
04.9.14	31587629		31587629	15000			31572629
08.9.14	31572629	105000	31677629		100000	121000	31456629
27.9.14	31456629		31456629			3732684	27723945
20.11.14	27723945		27723945			25000	27698945
	27698945		27698945			632272	27066673
26.11.14	27066673		27066673			9600000	17466673
	17466673		17466673			141000	17325673

20.12.14	17325673	30000	17355673				17355673
08.1.15	17355673		17355673			100000	17255673
	17255673		17255673			84000	17171673
	17171673		17171673			1990000	15181673
18.2.15	15181673	100000	15281673			100000	15181673
20.2.15	15181673		15181673			50000	15131673
24.2.15	15131673		15131673			643550	14488123
02.3.15	14488123		14488123			9000	14479123
13.3.15	14479123		14479123			2265975	12213148
25.3.15	12213148	241778	12454926				12454926

दैवीय आपदा पंजिका 25.03.2015 की प्रविष्ठियों की गणना में दिनांक 15-2014 12162804₹ पाया गया जबकि पंजिका में अंतिम अवशेष 12454926₹ को अंतिम अवशेष (बैक पासबुक) कम है। इससे संबंधित दस्तावेज 292122₹ जोकि अंकित है कई बार मांगे जाने पर भी इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये।

इकाई को इस ओर इंगित किये जाने पर जवाब दिया गया कि “कैसबुक से मिलान किया जायेगा तथा लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा”। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका निराकरण लेखापरीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ** को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य क्षेत्र